2022/727

फर्द अहकाम

(नियम- 13)

(General Rules (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No. 91)

मन सहायक कलेक्टर मुकाम डीडवाना

पुरी अभ्भोगीया बनाम तहसीलदार डीडवाना

प्रार्थना पत्र 251 अ. सं. 44/सन 2022

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
आज यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध अ./धारा 251 A. पेश किया दर्ज हो अप्रार्थीगण को नोटिस जारी हो मिसल दिनांक 14/11/22 पेश हो। (sd) सहायक कलेक्टर डीडवाना	
14/11/22 वकील प्रार्थी उप.। तहसीलदार मौलासर से रिपोर्ट ली जावे। पत्रावली इंतजार रिपोर्ट दिनांक 30/11/22 को पेश हो। (sd) सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)	
30/11/22 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप.। तहसीलदार मौलासर से रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई हो इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक 21/12/22 को पेश हो। (sd) सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)	
21/12/22 पत्रावली पेश हुई। श्रीमान [illegible] अन्य कार्य। दौरे पर पधारे हैं, मिसल दिनांक 19/1/23 को पेश हो।	
19/1/23 पत्रावली पेश हुई। वकील [illegible]। तहसीलदार मौलासर की रिपोर्ट [illegible] करने हेतु तहरीर जारी होकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 16/2/23 को पेश हो। (sd)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2024.09.30 12:47:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख

16/

21/5/24 पत्रावली पेश हुई । श्री मान P.O. सा.
अवकाश / अन्य कार्य / दौरे पर पधारे है।
नियत दिनांक 27/5/24 को पेश हो।

27/5/2024 वकील प्रार्थी उप०।
प्रार्थीपक्ष की तरफ से प्रार्थना पत्र पेश हुआ
जो शामिल रहे। पत्रावली में मौका रिपोर्ट
प्राप्त हो चुकी है जो शामिल है। मौका
13/4/2 रिपोर्ट अप्रार्थी द्वारा तैयार की जाकर पेश
है इसलिए पुनः तलब करने की आवश्यकता
नहीं रह जाती है।
पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 27/6/24 को
पेश हो। Vikas

15/6/2 27/6/24 पत्रावली पेश हुई । श्री मान P.O. सा.
अवकाश / अन्य कार्य / दौरे पर पधारे है।
नियत दिनांक 9/7/24 को पेश हो।

17

9/7/2024 पत्रावली पेश हुई।
बहस सुनी गई तथा रेकार्ड का अवलोकन किया
प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। अतः
अलग से तालिका जारी शामिल पत्रावली है।
पत्रावली फैसल शुमार होकर शामिल दफ्तर हो।
Vikas
उपखण्ड अधिकारी
...

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2024.09.30 12:47:51 IST
Reason: SelfAttested

12/9/2

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व प्रार्थना—पत्र संख्याः—44/2022 दायर दिनाँक 20.10.2022

आवेदकगण

1. रोशन गलवान पुत्री अजमेरी खां पत्नी असगर अली
2. समता पत्नी अजमेरी खां समस्त जाति कायमखानी निवासी झाडोद तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

अनावेदक

तहसीलदार डीडवाना।

बनाम्

प्रार्थना—पत्र

अन्तर्गत धारा 251 ए(1) R.T. Act.

उपस्थितः—

1. श्री अल्ताफ हुसैन वकील प्रार्थीगण।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक 09.07.2024

प्रार्थना—पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि, आवेदकगण उपखण्ड डीडवाना में ग्राम झाड़ोद में स्थित खेत खसरा नम्बर 123 रकबा 2.3100 हैक्टे0 के खातेदार हैं। उक्त खसरा की भूमि में पहुँचने हेतु कोई रास्ता नहीं है जिस हेतु नये रास्ते के लिए आवेदन कर रहे है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (ए) उप धारा (1) के अन्तर्गत रास्ते की अनुमति लेना चाहते है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को वास्ते जवाबदेही हाजिर अदालत होने के लिए जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रकरण में तहसीलदार मौलासर से जाँच व तथ्यात्मक रिपॉर्ट तलब की गयी। तहसीलदार मौलासर द्वारा पत्रांक 581 दिनाँक 22.02.2023 के द्वारा रिपॉर्ट अदालत में पेश की गयी। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना—पत्र पेश कर तहसीलदार मौलासर की उक्त रिपोर्ट के अनुसार खसरा सं0 119 में से 5 मीटर चौड़ा व 80 मीटर लम्बा रास्ता की DLC दर से राशि जमा कराने को तैयार व तत्पर है। जो की प्रार्थीगण के खेत खसरा सं0 123 तक आवागमन का कदीमी रास्ता है।

खसरा सं0 123 में आवागमन हेतु तहसीलदार मौलासर ने पत्रांक 581 दिनांक 22.02.2023 के द्वारा तथ्यात्मक रिर्पोट पेश कर रास्ता की भूमि को प्रस्तावित किया है।

ब्हस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस मुख्यतः उनके प्रार्थना—पत्र पर आधारित रही तथा उन्होने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार मौलासर की रिर्पोट में मार्क A से B से दर्शित नया रास्ता दिए जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2024.09.30 12:47:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी डीडवाना

Scanned with OKEN Scanner

बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया।

सरहद झाड़ोद तहसील मौलासर के आराजी खसरा सं0 123 में आवागमन के लिए खसरा सं0 119 में से नया रास्ता कायम करने की प्रार्थीगण इस्तदुआ कर रहे है। आराजी खसरा सं0 123 के प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (ए) उपधारा (1) के तहत एक काश्तकार अपनी जोत में आने जाने के लिए अन्य जोत से रास्ता प्राप्त कर सकता है व काश्तकार को निकटतम रास्ता उपलब्ध कराए जाने का विधि में प्रावधान है।

सर्वप्रथम यह देखा जाना है कि क्या काश्तकार के खेत में आवागमन का रास्ता लगता है अथवा नही ? उपलब्ध अभिलेख तथा तहसीलदार मौलासर की तथ्यात्मक रिर्पोट से यह स्पष्ट है कि काश्तकार की भूमि खसरा सं0 123 में आवागमन का कोई कद्दाणी रास्ता नही है। चूंकि काश्तकार की भूमि के कोई कद्दाणी रास्ता नही लग रहा है इसलिए काश्तकार को उसके खेत में आवागमन के लिए रास्ता की आवश्यकता है।

आवेदकगण काश्तकार की जोत में आवागमन का रास्ता नही होने से उसको रास्ते की नितान्त आवश्यकता है।

उपरोक्तानुसार आवेदकगण को उसकी भूमि खसरा सं0 123 में आवागमन हेतु नया रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्यायसंगत है। धारा 251 (A) RTA के तहत आवेदकगण को कौनसा रास्ता उपलब्ध कराया जाना उचित होगा यह बिन्दु विचारणीय है। तहसीलदार मौलासर की तथ्यात्मक रिर्पोट पत्रांक 581 दिनांक 22.02.2023 में मार्क A to B व मार्क C to D तथा मार्क E to F तीन रास्ते प्रस्तावित किए है। सर्वप्रथम मार्क E to F पर विचार किया जाता है। मार्क E to F रास्ता खसरा सं0 121 की पश्चिमी सींव पर खसरा सं0 122 तक प्रस्तावित किया गया है। आवेदकगण ने खसरा सं0 123 में रास्ते की मांग की इसलिए खसरा सं0 122 तक प्रस्तावित रास्ता मार्क E to F का कोई औचित्य नही है।

मार्क C to D रास्ता खसरा सं0 118 की पश्चिमी सींव पर प्रस्तावित किया है। खसरा सं0 118 अन्य खातेदारान की भूमि है जो इस प्रकरण में पक्षकार ही नही है। तथा आवेदकगण अपने आवेदन व प्रार्थना पत्र में खसरा सं0 119 में से ही रास्ता चाह रहे है इसलिए खसरा सं0 118 की भूमि के मार्क C to D से दर्शित रास्ता के प्रस्ताव का कोई औचित्य नही बनता है।

अब तीसरा व अन्तिम प्रस्ताव खसरा सं0 119 में से मार्क A to B रास्ता का विचारणीय रहता है। आवेदकगण ने अपनी जोत खसरा सं0 123 में आवागमन हेतु खसरा सं0 119 में से नया रास्ता कायम करने की इस्तदुआ की है। तहसीलदार मौलासर ने तथ्यात्मक रिर्पोट में खसरा सं0 119 में से मार्क A to B रास्ता प्रस्तावित किया है। मार्क A to B प्रस्तावित रास्ते पर आवेदकगण सहमत है तथा प्रस्तावानुसार रास्ता प्रदान करने का निवेदन कर रहे है।

खसरा सं0 119 राज्य सरकार की मिलकियत की भूमि है [illegible] किस्म बारानी उत्तम दर्ज है। आवेदकगण को राज्यसरकार की मि[illegible] भूमि में से क्या रास्ता दिया जा सकता है? यह बिन्दु विचारणीय है। [illegible] के परिपत्र दिनांक 14.06.2013 व परिपत्र क्रमांक प.3(17)राज्य–6/[illegible] पार्ट/91 जयपुर,दिनांक 30.09.2021 में एक काश्तकार को उसकी जोत में आवागमन के लिए सरकारी भूमि में से भी रास्ता दिए जाने के निर्देश राज्य सरकार [illegible] प्रदत किए है। इन परिपत्रों के अनुसरण में आवेदकगण को अपनी जोत में आवागमन का कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2024.09.30 12:47:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Scanned with OKEN Scanner

वैकल्पिक रास्ता नही होने के कारण राजकीय भूमि में से नया रास्ता प्राप्त करने के अधिकार है।

उपरोक्त विवेचन व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख तथा तहसीलदार मौलासर की तथ्यात्मक रिर्पोट के अनुसार आवेदकगण की भूमि खसरा सं0 123 में आवागमन को कोई वैकल्पिक रास्ता नही होने से उसे रास्ता की नितान्त आवश्यकता है। रास्ता की नितान्त आवश्यकता होना पुष्ट होने पर उसे खसरा सं0 119 की मार्क A to B से दर्शित भूमि को रास्ता के लिए उपलब्ध कराया जाना न्यायोचित है।

अतः उपलब्ध साक्ष्यों व तहसीलदार मौलासर की रिर्पोट के परिपेक्ष्य में आवेदकगण का हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

—:: आदेश ::—

प्रार्थीगण का प्रार्थना—पत्र स्वीकार कर इनकी खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 123 वाकै सरहद झाड़ोद में आवागमन हेतु तहसीलदार मौलासर की मौका रिपोर्ट दिनाँक 22.02.2023 व नजरी नक्शा में दर्शित खसरा सं0 119 की 5 मीटर चौडी व 80 मीटर लम्बी मार्क ए बी से दर्शित भूमि को रास्ता की भूमि घोषित की जाती है। तहसीलदार मौलासर की मौका रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा। रास्ता में गयी भूमि की कीमत का आंकलन राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 14.06.2013 व परिपत्र क्रमांक प.3(17)राज्य—6/2021 पार्ट/91 जयपुर,दिनांक 30.09.2021 में दिये गए निर्देशों के अनुसरण में वर्तमान डी0एल0सी0 दर से व नियमानुसार आंकलन कर राजकोष में जमा लेवें। तदउपरान्त राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद हो।

(विकास मोहन भाटी)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक **09.07.2024** को सरे इजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2024.09.30 12:47:51 IST
Reason: SelfAttested

(विकास मोहन भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Scanned with OKEN Scanner